दिनांक 11.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत राऊ नदी सलेमपुर महदूद में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत राऊ सलेमपुर महदूद में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में 03.07.2014 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत भवन, परिसर अन्नेकी में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति द्वारा दिनांक 11.08.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के, सलेमपुर महदूद के निकट राऊ नदी पर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 7.702 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 1.01 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये।
- परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा।
- ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रख़रखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा।
- कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 4.56 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री सुमित सिंह, उप प्रधान ग्राम अन्नेकी द्वारा बताया गया कि खनन इस क्षेत्र में रोजगार का एकमात्र साधन है। घाड़ क्षेत्र में स्थानीय लोगों का जीवीकोपार्जन खनन से ही जुडा हुआ है। अतः खनन नियमानुसार व वैज्ञानिक तरीके से होना अत्यन्त आवश्यक है। सीमित खनन होना चाहिये तथा तटबन्धों से निश्चित दूरी छोडते हुये ही होना चाहिये।

2. श्री बबलु ग्राम पंचायत सदस्य अन्नेकी द्वारा बताया गया कि सलेगपुर गांव का ड्रेनेज अन्नेकी गांव से होकर जाता है। अतः सर्वप्रथत अन्नेकी गांव पर तटबन्ध बनना चाहिये। उनके द्वारा यह भ्झी बताया गया कि सलेमपुर क्षेत्र में खनन नदी के अन्नेकी गांव की तरफ के ढाल के विपरीत दिशा में होना चाहिये जिससे कि गांव पर कटान की कोई समस्या न हो। खनन होने से पूर्व गांव के समीप नदी पर तटबन्ध बनाया जाना आवश्यक है। यह भी बताया गया कि खनन में स्थानीय निवासियों को रोजगार एवं उनके वाहनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा राऊ नदी सलेमपुर में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा खनन के विरोध में मतदान नही किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा हाथ उठाकर खनन के पक्ष में मतदान किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवही के अनुकम में वैज्ञानिक तरीके से राऊ नदी सलेमपुर महदूद से उप खनिज चुगान की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदाय को पढकर सुनाया गया तथा पुरी प्रकिया की विडियो रिर्काडिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

एम0डी0 ढौंडियाल समन्वयक, गंढवाल मंडल विकास निगम, हरिद्वार	डॉ0 अंकुर कंसल क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उ0प0सं0प्र0नि0बो0, रूडकी	रवनीत चीमा अपर जिलाधिकारी (वित्त) जिला हरिद्वार

दिनांक 11.08.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत गंगा नदी सलेमपुर-महदूद में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति

क्रम स0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1	रवनीत चीमा अपर जिलाधिकारी (वित्त) हरि.	[signature]
2	डा. अंकुर कंसल क्षे.अ., प्र.नि.बो. रुड़की	[signature]
3	एन.डी. डौंडियाल, महाप्रबंधक GMVN	[signature]
4	अनुराग नेगी अवर अभि., प्र.नि.बो. रुड़की	[signature]
5	कमल	कमल
6	ऋषिपाल	ऋषिपाल
7	समेरसिंह	समेरसिंह
8	मनबीर	मनबीर
9	ईश्वर	ईश्वर
10	ओमी चन्द	[thumb impression]
11	विक्रम	[signature]
12	रजनीश कुमार	Rajnish
13	कुरड़ी सिंह	कुरड़ी
14	जयसिंह	[thumb impression]
15	देशराज	देशराज
16	रवि	रवि
17	राजपाल	राजपाल